

**पंजीयन प्रमाण पत्र****संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश, भोपाल**

कचनार ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail: mptownplan@mp.gov.in/Phone : 07552427091, Fax - 0755 2427097

विकासकर्ता (डेवलपर) के रूप में पंजीयन हेतु, मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम 2026 नियम 4(6) के अधीन

पंजीयन क्रमांक I/511723/2026

दिनांक 10-06-2026

मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम, 2026 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, आश्रय इन्फ्राकॉन एल.एल.पी निवासी 2/1 साउथ तुकोगंज जिला इंदौर राज्य मध्यप्रदेश को निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन विकासकर्ता (डेवलपर) के रूप में पंजीकृत किया जाता है, अर्थात:-

1. यह पंजीयन, जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश राज्य में विधिमान्य होगा।
2. टाउनशिप के विकास की अनुमति, प्रत्येक टाउनशिप के लिए पृथक रूप से साधिकार समितिसे प्राप्त करनी होगी।
3. मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम, 2026 के अधीन प्रस्तुत जानकारी गलत पाई जाती है, तो पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त किया जावेगा।
4. पंजीयन सम्पूर्ण राज्य के लिए विधि मान्य होगा।

आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र. भोपाल